



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267501
CG-DL-E-10112025-267501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4843]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4843]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4998(अ).—केंद्र सरकार, वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 यथा संशोधित 2009 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 20) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के प्रावधानों के तहत चयन हेतु वास्तुकला परिषद के सदस्यों की पांच रिक्तियों को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 4-15/2022-टीएस-VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

S.O. 4998(E).—In exercise of powers conferred by rule 5 of the Council of Architecture Rules, 1973 as amended in 2009, the Central Government hereby notifies five vacancies of members of the Council of Architecture to

be elected under the provisions of clause (c) of sub-section (3) of the section 3 of The Architects Act, 1972 (Act no. 20 of 1972).

[F. No. 4-15/2022-TS-VI]
SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.